

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 203/2021

वादीगण-

1. रामपाल चौधरी पुत्र लादूराम
2. सुरेश राम पुत्र लादूराम  
जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. लादूराम पुत्र नारायणराम
2. सुरजाराम पुत्र लादूराम
3. कानाराम पुत्र लादूराम  
जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

विशेष :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 08/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा कमेड़िया तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 8.7088 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर 2 वर्ष पूर्व वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ड) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर ली। नजरीनक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 रामपाल चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 1 सुरेश राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0638 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लादूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 0.4775 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 सुरजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा इसी खसरे में से 0.9226 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी

08/10/2021  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल


संख्या 3 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नीव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 08.10.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाली जबाब पेश किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विषयक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भंवरलाल पुत्र पिथाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम कमेडिया तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 402 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 08.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक

  
सहायक कलेक्टर  
(ए.बी.ओ.) जायल

हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकवाली जवाब दिनांक 08.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा कमेड़िया के वादग्रस्त खेतों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 339, 346/443 की भूमि का माफिक सहमति ईकवाली जवाब अनुसार बंट चाहा है। अतः मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 339, 346/443 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित कर पक्षकारान के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 339, 346/443 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामपाल चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 सुरेश राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0638 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 लादूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 0.4775 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 सुरजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा इसी खसरे में से 0.9226 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



08/10/2021  
(रवीन्द्र कुमार) पलवट  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,

व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 203/2021

वादीगण-

1. रामपाल चौधरी पुत्र लादूराम
2. सुरेश राम पुत्र लादूराम  
जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. लादूराम पुत्र नारायणराम
2. सुरजाराम पुत्र लादूराम
3. कानाराम पुत्र लादूराम  
जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-


1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 339, 346/443 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामपाल चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 सुरेश राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में से 2.0638 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरी नकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।



08/10/2021  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 लादूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 0.4775 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 सुरजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा इसी खसरे में से 0.9226 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 346/443 रकबा 4.5891 हैक्टेयर में से 2.0559 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



08/10/2024  
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर  
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिग

आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक  
अदालत के आज तारीख

बाबत खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना  
की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर  
को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

08/10/2024  
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर  
जायल

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) अधिकारी  
जायल (नागौर)